



न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| <p>तारीख<br/>हुक्म</p> | <p>पु. नं. 10/2022 प्रां.पत्र स्थानांतरण<br/>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br/>उनमान - रामकरण कौर बनाम डाब्योडेनी कौर</p> | <p>नम्बर व तारीख<br/>अहकाम जो इस<br/>हुक्म की तामील<br/>में जारी हुए</p> |
|------------------------|--|--|

आधिकारिता प्राचीन एवं प्राचीन के बार-बार  
आवाज लेगवो के उपरांत भी आधिकारिता प्राचीन  
अथवा प्राचीन में से कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित  
नहीं हुआ। राजकीय आधिकारिता द्वारा की तत्कालीन  
पीठाधीन आधिकारी की रणजीत सिंह जोशय का  
स्थानांतरण हो जाने से प्राचीन पत्र को ज्ञात  
नहीं चलाये जाते का निवेदन किया गया।

पत्रावली का आवेदन किया गया एवं  
उपस्थित आधिकारितागण के रुचन पर भ्रमन  
किया गया। पत्रावली में आधिकारिता प्राचीन अथवा  
प्राचीन में से कोई भी पैरवी हेतु उपस्थित नहीं  
हुआ तथा तत्कालीन पीठाधीन आधिकारी की  
रणजीत सिंह जोशय उपखण्ड आधिकारी सिमराप  
का स्थानांतरण हो चुका है। स्थिति में  
प्राचीन रामकरण पुत्र बाल्या वगैरा जाति  
गुर्जर निवासी शुभ गढ़ राणोली तहसील सिमराप  
द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र स्थानांतरण खारिज  
किया जाता है। निवेदन की प्रति आधीनस्थ आधिकारिता  
उपखण्ड आधिकारी सिमराप को भिजवा दी जावे।  
पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से रजम है।  
एवं बाद पूर्ण प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निवेदन  
आज दिनांक 4-5-2022 को मेरे द्वारा मुठे  
न्यायालय में सुनाया गया।



(आर. क. मीना)  
अति. जिला कलक्टर  
दौसा